न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर(राज.)

बइजलासः– अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–168 / 2019 / दावा

1. मुकेश कुमार पलसानियाँ पुत्र पूराराम पलसानियाँ उम्र 25 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।
2. बाबूलाल शर्मा पुत्र रामस्वरुप शर्मा उम्र 61 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।
3. नर्बदादेवी शर्मा पत्नि बाबूलाल शर्मा उम्र 58 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।
4. लक्ष्मी शर्मा पत्नि जयप्रकाश शर्मा उम्र 37 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
5. अनूप कुमार खेतान पुत्र राजेन्द्र कुमार खेतान उम्र 36 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

——वादीगण

ब ना म

1. रतनलाल पलसानियाँ पुत्र पूराराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

———प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन।

उपस्थितिः

1. श्री नन्दलाल धायल वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री हरिसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें।

निर्णय **दिनांक 19.12.2019**

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि ख.नं. 805 / 764 रकबा 0.0223 है., ख.नं. 807 / 764 रकबा 0.1416 है., ख.नं. 809 / 764

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रकबा 0.0446 है., ख.नं. 811/764 रकबा 0.0240 है., ख.नं. 813/764 रकबा 0.1325 है., ख.नं. 815/764 रकबा 0.2450 है., ख.नं. 816/760 रकबा 0.13 है., ख.नं. 818/760 रकबा 0.25 है., ख.नं. 820/760 रकबा 0.15 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर (पुराने ख.नं. 760/159 एवं ख.नं. 764/158 है) राजस्व ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी भू. अ. नि. क्षैत्र रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की सरहद में अवस्थित है। जो वाद पत्रे के पक्षकारान् की संयुक्त हक हिस्सा एवं स्वामित्व की अविभाजित सम्पदा है जिनमें वादीगण का संयुक्त रुप से 89/114 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 25/114 हक हिस्सा है। वादाधीन भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय शुदा भूमियां है। विक्रय पत्र का पंजीयन उप–पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ के यहॉ पर दिनांक 05/12/2019 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 528 पृष्ठ सं. 44 क्र. सं. 2019 03497103547 पर पंजीकृत किया गया है। वादाधीन सम्पदा पक्षकारान् की संयुक्त हक हिस्सा की अविभाजित सम्पदा है जिनका मौके पर पक्षकारान् ने अपने हक हिस्से के मुताबिक विभाजन कर अपने हक हिस्से के मुताबिक काबिज होकर अपने अपने उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हक हिस्से की सम्पदा का पंजीकृत विक्रय पत्र के राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाकर रिकार्ड में विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से आग्रह करने पर प्रतिवादी सं. 01 मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर विभाजन करने के लिए साफ इन्कार हो गया। वादाधीन भूमियां संयुक्त स्वामित्व एवं अविभाजित होने से वादीगण अपनी खरीद शुदा सम्पदा का स्वतंत्र उपयोग तथा उपभोग नहीं कर पा रहे है तथा वादीगण का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र अंकन होकर विभाजन न होने से अपने हक हिस्से की सम्पदा को विकसित नहीं कर पा रहे है इसलिए वादीगण मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाकर अपना खाता पृथक से दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए प्रतिवादी सं. 1 साफ इन्कार हो गया इसलिए वादीगण के समक्ष माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर पंजीकृत विक्रय पत्र के मुताबिक अपने हक हिस्से की उद्घोषणा करवाकर बंटवारा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का प्रस्तुत करना लाजिम हुआ है। वाद कारण वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 ने पंजीकृत विक्रय पत्र के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर विभाजन करने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रति क्षण निरन्तर रुप से चालु है। प्रतिवादी सं. 2 भू–धारक है जिसको बिना धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिये ही माननीय न्यायालय की अनुमति से वाद संस्थित किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

वादाधीन भूमिया राजस्व ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी में अवस्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमियां में वादीगण मुताबिक चरण सं. 2 में वर्णित हक हिस्सा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 05/12/2019 के मुताबिक बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड संशोधित करते हुये पृथक से खाता दर्ज कर वादीगण प्रत्येक को अपने अपने हक हिस्से की भू–सम्पदा का पृथक पृथक से एंकाकी खातेदार उद्घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री हरिसिंह चौधरी हाजिर आये तथा प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वाद पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजीनामे का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामे अनुसार वाद के पक्षकारान को पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित भूमियां का खातेदार घोषित कर बंटवारे की अंतिम डिकी पारित करने हेतु निवेदन किया। चूंकि वादाधीन भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 की पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद शुदा भूमियां है तथा कानूनन रुप से पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद शुदा भूमियां के क्रेतागण विक्रय पत्र पंजीकृत होते ही खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत आर एल डब्ल्यू 2004 आरजे 108 मोहनसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू व अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि –जहॉ पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खातेदारी भूमि का पूर्ण विक्रय हो वहॉ क्रेता को खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है। न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में भी वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से खातेदार गिरधारीलाल से पूर्ण हिस्सा खरीद की है इसलिए वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

1 को खातेदार उदघोषित किया जाता है तथा विभाजन की अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा हैक्टेयर में
1.	मुकेश कुमार पलसानियाँ पुत्र पूराराम पलसानियाँ जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।	813/764 ———— किता–1 ————	0.1325 ———— 0.1325 ————
2.	बाबूलाल शर्मा पुत्र रामस्वरुप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।	807/764 ———— किता–1 ————	0.1416 ———— 0.1416 ————
3.	नर्बदादेवी शर्मा पत्नि बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।	815/764/2 ———— किता–1 ————	0.1250 ———— 0.1250 ————
4.	लक्ष्मी शर्मा पत्नि जयप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।	820/760 805/764 809/764 811/764 ———— किता–4 ————	0.1500 0.0223 0.0446 0.0240 ———— 0.2409 ————
5.	अनूप कुमार खेतान पुत्र राजेन्द्र कुमार खेतान जाति महाजन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।	818/760/2 815/764/1 ———— किता–2 ————	0.1300 0.1200 ———— 0.2500 ————
6.	रतनलाल पलसानियाँ पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।	816/760 818/760/1 ———— किता– 2 ————	0.1300 0.1200 ———— 0.2500 ————

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। मुताबिक निर्णय डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मुकेश कुमार पलसानियां आदि बनाम रतनलाल पलसानियां आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 168 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 19.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री नन्दलाल धायल** मिनजानिब मुद्दई व श्री हरिसिंह चौधरी मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार उदघोषित किया जाता है तथा विभाजन की अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा हैक्टेयर में
1.	मुकेश कुमार पलसानियॉ पुत्र पूराराम पलसानियॉ जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।	813 / 764	0.1325
		किता–1	0.1325
2.	बाबूलाल शर्मा पुत्र रामस्वरुप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।	807 / 764	0.1416
		किता–1	0.1416
3.	नर्बदादेवी शर्मा पत्नि बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चित्रकूट कॉलोनी कालवाड रोड़ झोटवाडा जयपुर (राज.)।	815 / 764 / 2	0.1250
		किता–1	0.1250
4.	लक्ष्मी शर्मा पत्नि जयप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।	820 / 760 805 / 764 809 / 764 811 / 764	0.1500 0.0223 0.0446 0.0240
		किता–4	0.2409
5.	अनूप कुमार खेतान पुत्र राजेन्द्र कुमार खेतान जाति महाजन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।	818 / 760 / 2 815 / 764 / 1	0.1300 0.1200
		किता–2	0.2500
6.	रतनलाल पलसानियॉ पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।	816 / 760 818 / 760 / 1	0.1300 0.1200
		किता– 2	0.2500

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है निर्णय की पालना कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखते ओहदा

उपखण्ड अधिकारी,दातारामगढ

मोहर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ